

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4523]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/कार्तिक 24, 1940

No. 4523]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

**का.आ. 5742(अ).**—(अ) केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है।

1. श्रीमती चन्द्रमुखी देवी
2. श्रीमती सोसो शैजा
3. श्रीमती कमलेश गौतम

2. श्रीमती चन्द्रमुखी देवी, श्रीमती सोसो शैजा और श्रीमती कमलेश गौतम पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बनी रहेंगी।

[फा. सं. 20/35/2015-एनसीडब्ल्यू (प्रशासन)]

आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2018

**S.O. 5742(E).**—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates the following as Members of the National Commission for Women:

1. Smt. Chandramukhi Devi.
2. Smt. Soso Shaiza
3. Smt. Kamlesh Gautam,

2. Smt. Chandramukhi Devi, Smt. Soso Shaiza and Smt. Kamlesh Gautam shall hold office for a period of three years or till the age of 65 years or until further orders from the date of assumption of charge of office, whichever is the earlier.

[F.No.20/35/2015-NCW ADMN]

ASHISH SRIVASTAVA, J. Secy.